पुनरीक्षण – मूल किर आदि प्र०

दिनांक	आज्ञा पत्र	
4.9.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं उप वकील अपीलांट को प्रा. पत्र 04/R 27 CPC का जवाब पेश किया। ... प्रा. पत्र 04/R 27 CPC पर बहस सुनी गई। बाद आदेश प्रा. पत्र 04/R 27 CPC दिनांक 12.9.24 को पेश हो। ह०	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
12.9.24	पत्रावली पेश। प्रस्तुत प्रकरण में प्रा. पत्र 04/R 27 एवं जवाब का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। न्यायहित में प्रा. पत्र 04/R 27 स्वीकार किया जाता है। बाद बहस अन्तिम दिनांक 16.10.24 को पेश हो। ह०	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
16/10/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 22.10.24 को पेश हो। ह०	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
22/10/24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। ह०	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 121/2022

1 पूर्णाराम पुत्र परसाराम
2 दानाराम पुत्र परसाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मूलसिंह पुत्र भूराराम
2 इमरता देवी पत्नी नोपसिंह
3 किरण ढाका पुत्री नोपसिंह
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।
4 पटवारी हल्का तिड़ोकी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. हाल तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।
5 नायब तहसीलदार उप तहसील नेछवा जिला सीकर राज. हाल नवसृजित तहसील नेछवा जिला सीकर।
6 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ उपतहसील नेछवा जिला सीकर राज. हाल नवसृजित तहसील नेछवा जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

7 छगनाराम पुत्र परसाराम
8 नेमीचन्द पुत्र परसाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।

प्रोफोर्मा रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट. विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 03.11.2022 वाद मूलसिंह बनाम छगनाराम आदि मु.नं. 67ए/2020 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री जयदीप नेहरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 67ए/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा 159, 161, 162, 51 वाके ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय नेबाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अपीलांट की आपत्ति विभाजन प्रस्ताव खारिज करते हुए वादी का वाद विभाजन प्रस्ताव स्वीकर कर निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार करने की पुष्टि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार को संबोधित पत्र से होती है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय में आदेशिका दिनांक 03.11.2022 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अंतिम बहस सुने बिना ही दिनांक 03.11.2022 को ही विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 299 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय में उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति खारिज कर गुणावगुण पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया है। विचारण न्यायालय में विधि अनुसार अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की पृथक से अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। प्राथमिक डिक्री को चुनौती दिये बिना अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी जा सकती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014(1) पेज 397, आरआरटी 2012(1) पेज 350 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार करने की पुष्टि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार को संबोधित पत्र से होती है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय में आदेशिका दिनांक 03.11.2022 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अंतिम बहस सुने बिना ही दिनांक 03.11.2022 को ही विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विधि अनुसार आपत्ति लेकर निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 22.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

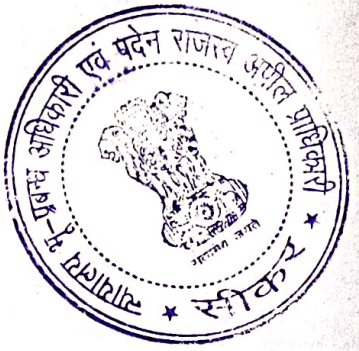

(बलदेवाराम धीजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर